

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 318/754/वित्त/नियम/चार/2010,

रायपुर, दिनांक 06.अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय: -राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.10.2010 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 96/754/वित्त/नियम/चार/2009 दिनांक 20.04.2010 द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में नियम वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से 27 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है । शासन द्वारा उक्त महंगाई भत्ते की दर में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है -


अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.10.2010 (माह अक्टूबर, 2010 का वेतन जो माह नवम्बर 2010 में देय है)	35 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) के आधार पर की जावेगी । इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा ।
3. महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा ।

4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार **जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता**, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज **सचिव/निज** सहायक, **मंत्री/राज्यमंत्री**, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त **सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव** एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, **जिला/सिटी** कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग